रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232045
CG-DL-E-29122021-232045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4924]	नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2021/अग्रहायण 29, 1943
No. 4924]	NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2021/AGRAHAYANA 29, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5315(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खण्ड (ii), तारीख 13 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3703(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख–रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप–धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान टाईम्स, तारीख 19 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तद्नुसार आदे"ा पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप–धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

झारखण्ड राज्य के गिरिडीह जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला गिरिडीह

क्र. सं.	मौजा का नाम	खाता सं.	प्लॉट सं./ सर्वे सं.	अर्जित रकवा (एकड़ में)	अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	जमीन का प्रकार	जमीन का प्रकृति	जमाबंदी रैयत का नाम
1	भोलीडीह/193	13	475	0.020	0.0081	रैयती	टांड I	नुनुचन्द महतो वो खुबलाल महतो वो बेनी माधव प्रसाद वो चुरामानी महतो ।

[फा. सं. 2021/एलएमएल–II/12/2/ईसी/2251]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू.एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5315(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3703(E), dated the 10th September, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 13th September, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Giridih in the State of Jharkhand;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and Hindustan, dated the 19th September, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Giridih in the State of Jharkhand.

DISTRICT: GIRIDIH

Sl. No.	Name of Mouza/ Thana No.	Khata No.	Plot No.	Acquired Area in (Acre)	Acquired Area in (Hectare)	Type of Land	Nature of Land	Recorded Owner Name
1	Bholidih/193	13	475	0.020	0.0081	Raiyti	Tand I	Nunuchand Mahto, Khublal Mahto, Beni Madhav Prasad, Churamani Mahto.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2251]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA